



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45980

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 4981 वर्ष 2025

सुखवीर सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता	: बृजेश कुमार यादव
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता	: अयूब खान, सी.एस.सी., शैलि गांगुली

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, निजी प्रत्यर्था संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अयूब खान तथा प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याची ने दिनांक 13.10.2025 को उपनिदेशक समेकन द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपनी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा मीरा देवी (प्रत्यर्था संख्या 5) की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एकमात्र यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपनिदेशक समेकन ने वर्तमान याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही पुनरीक्षण याचिका को एकपक्षीय रूप से स्वीकार कर लिया है। इस संदर्भ में याची द्वारा वर्तमान रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 14, 15 एवं 16 में विशिष्ट अभिकथन किए गए हैं।
4. निजी प्रत्यर्था संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अयूब खान ने रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 14, 15 एवं 16 में वर्णित एकपक्षीय सुनवाई के तथ्यों का खंडन नहीं किया तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वाद को उपनिदेशक समेकन के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रत्यावर्तित कर दिया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और **स्वीकार** की जाती है। उपनिदेशक समेकन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 निरस्त किया जाता है तथा पुनरीक्षण याचिका को उसके मूल संख्या पर पुनर्स्थापित किया जाता है। दोनों पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपनिदेशक समेकन के समक्ष उपस्थित हों, जो तत्पश्चात् दोनों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, पुनरीक्षण का पुनः निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

दिनांक : 27 फरवरी 2026

विनय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”